

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 78/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट)

आवास फार्इनेशियर्स लि. (पूर्व नाम एचू हाउसिंग फार्इनेन्स लि.) पंजिकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्ववायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामनिवास,
पता :- 91/1, पनियाला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
एवं पट्टा नम्बर 1129, खसरा नम्बर 833/1, ग्राम बासडी, कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद,
3. श्री अंकित जागिख पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद,
पता :- 91/1, पनियाला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
4. श्री भारत सोनी पुत्र श्री टेक चन्द,
पता :- 77, टुक यूनिशन के पास, वार्ड नम्बर 13, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

अग्रणीयता
ऋणी एवं मान्यता



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

तपस्थित :-

1. श्री चन्द शेखर बेनीवाल अभिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 14.06.2022

1. शीघ्र में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अग्रणी ऋणी को पूर्ववर्तमान में दिनांक 13.06.2018 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अग्रणी पुष्पा देवी के स्वामित्व की पत्नी एवं नम्बर 1129, खसरा नम्बर 833/1, ग्राम बासडी, कोटपूतली, जिला जयपुर कोटपूतली, जिला जयपुर को बंधक रख कर 7,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अग्रणी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अग्रणीयता की धारा 14 के अन्तर्गत अग्रणी ऋणी को दिनांक 03.12.2021 को एजिस्टर्ड कोर्टिस जारी किया गया। कोर्टिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग झाल भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने 14- Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थीय धन प्रस्तुत कर अपने पास बंधक रखवाली के भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इशारा उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थीय धन प्रस्तुत होने पर तल एजिस्टरर किया गया । एजिस्टरर के अग्रणी ऋणी को पूर्ववर्तमान प्रार्थी किये गये। अग्रणीयता की ओर से कोई तपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पुष्टि में वित्तीय संस्था के वित्तीय विवरण की प्रति प्रस्तुत की है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 07,50,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 07,81,533/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.12.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अमर सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति पुष्पा देवी के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा नम्बर 1129, खसरा नम्बर 833/1, ग्राम बासडी, कोटपूतली, जिला जयपुर क्षेत्रफल 117.97 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



पत्र हो।

आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेश विशाल)
 11/04/22
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर